लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन सं॰ आर्थिक खंड

कार्यालय कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी काशीपुर के माह 04/2012 से माह 05/2016 तक के लेखा अभिलेखों पर आधारित सर्व श्री डी के मट्टू सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री मनोज सिंह,पर्यवेक्षक, श्री सौरभ कुमार लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 25/06/2016 से 30/06/2016 तक नियंत्रक महालेखापरीक्षक के डी0पी0सी0एक्ट की धारा 13 के अन्तर्गत लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन।

वित्तीय वर्ष	मुख्य लेखा शीर्ष	कुल आवंटन	कुल व्यय

निरीक्षण आख्या **कार्यालय कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी काशीपुर** द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना के आधार पर तैयार की गयी है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गई किसी त्रुटिपूर्ण सूचना अथवा अप्राप्त सूचना के लिये कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

भाग-प्रथम

प्रस्तावनाः-

1. वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 4/2012 से 5/2016 तक के लेखा अभिलेखों की सामान्यता जांच की गयी।

2. विगत संप्रेक्षा से अब तक निम्नलिखित कार्यालय अध्यक्ष नें कार्यालय का कार्यभार सम्भाले रखा।

1. श्री रवीन्द्र कुमार खुल्बे प्रारम्भ से वर्तमान तक।

3. अप्रस्तुत अभिलेखः- शून्य

4. सतत अनियमिततायेः- शून्य

5 . सम्प्रेषित अवधि मे मुख्य लेखा शीर्षो मे कुल आवंटन एवं व्यय (धनराशि लाख .में)

2012-13		111.02	93.34
2013-14		53.93	100.68
2014-15		44.92	31.89
2015-16		45.02	37.51

प्रस्तर-1 `3.17 लाख प्राप्त व्यय धनराशि को राजकोष में जमा न किया जाना।

उत्तराखंड शासन के पत्र सं॰ 99/XXVII(14)2009 दिनांक 3 सितम्बर 2009 द्वारा सरकारी प्रतिष्ठानो निकायों आदि में समेकित निधि से आहरित धनराशियों को तत्काल संबन्धित योजनाओं में उपभोग करने के बजाए विभिन्न बेंकों अथवा सावधि जमा खातों में अवरुद्ध रखा जाता है शासन द्वारा स्पष्ट निर्देश दिये गए है कि यदि किसी विशिष्ट कारणो से समेकित निधि से आहरित धनराशि का उपभोग नहीं किया जा सके, तथा उस पर ब्याज अर्जित हो, तब इस ब्याज धनराशि को खाते से आहरित कर चालान द्वारा राज्यकोष से प्राप्ति शीर्ष मे जमा कर देना चाहिये।

कार्यालय कार्यालय कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी काशीपुर को लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि कार्यालयध्यक्ष के पदनाम से संचालित RKVY, जिला योजना एवं अन्य योजनाओ से प्राप्त धनराशियों को संबन्धित खातों में जमा किया गया था जिस पर लेखापरीक्षा तिथि में कुल ` 3,16,943.00 दिनांक 30.10.2015 ब्याज बेंकों द्वारा खाते में जमा दर्शाया गया है। जिसकी आहरित कर चालान द्वारा राजकोष में जमा नहीं किया गया है।

इस संबंध में पूछने पर कि बेंक से प्राप्त ब्याज राजकोष में जमा क्यों नही किया गया हैं, तो बताया गया कि यथाशीघ्र ही प्राप्त ब्याज को खातों से आहरित कर जमा कर दिया जाएगा। तथा अगली लेखापरीक्षा में जमा अभिलेखो को प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

अत: प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग-तीन

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमिततायें जिनका स्थल पर समाधान नहीं हो सका। उनको नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित करके अलग से **कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी काशीपुर** को भेजा प्रेषित, जिसकी अनुपालन आख्या एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उपमहालेखाकार/आर्थिक खण्ड, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, सी-1/105, वैभव पैलेस, इन्दिरा नगर, देहरादून को भेजना सुनिश्चित करेंगें।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/आर्थिक-II